



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

नोएडा-दादरी रोड, फेज-2, नोएडा - 201305 (उत्तर प्रदेश)

दूरभाष (जोन कार्यालय): 0120 - 2567268-70 (3 लाइनें), फैक्स: 2562314, 2567276

ईमेल <dc@nsez.gov.in>: वेबसाइट: www.nsez.gov.in

फा० सं० 10/191/2008-सेज/ 5447
01/7/2024

दिनांक: 21.06.2024

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001.
2. संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
3. आयुक्त आयुक्त, (सीआईटी-तृतीय-जयपुर), न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैचू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
4. आयुक्त, सेंट्रल जीएसटी जयपुर, नया केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैचू सर्किल के पास, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
5. प्रबंध निदेशक, रीको लिमिटेड, उद्योग भवन तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)
6. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
8. महाप्रबंधक, रीको लिमिटेड, उद्योग भवन तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
9. महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड (विकासकर्ता), 411, नीलकंठ टावर, भवानी सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001 (राजस्थान)

विषय: दिनांक 21.06.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाली महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड मल्टी-प्रोडक्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद्वारा.

महोदय,

मुझे दिनांक 21.06.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड की जयपुर स्थित मल्टी-प्रोडक्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार.

भवदीय,

(नितिन गुप्ता)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

- विकास आयुक्त के विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त महोदय के सूचनार्थ.
- संयुक्त विकास आयुक्त के वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त महोदय के सूचनार्थ.
- उप विकास आयुक्त (NG) महोदय के सूचनार्थ.
- निर्दिष्ट अधिकारी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, मल्टी-प्रोडक्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान).
- कंप्यूटर अनुभाग - कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें।

उप विकास आयुक्त

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र, जयपुर की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त श्री ए. बिपिन मेनन, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कार्यालय नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नौएडा के द्वितीय तल पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन कक्ष अध्यक्षता में 21.06.2024 को सुबह 11:30 बजे हाईब्रिड मोड में आयोजित किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
- ii. श्री प्रवीण मित्तल, अतिरिक्त आयुक्त, आयकर, जयपुर।
- iii. श्री पी.एन. शर्मा, संयुक्त निदेशक, उद्योग, राजस्थान, जयपुर।
- iv. श्री अनिल लखेरा, उप प्रबंधक, रीको, जयपुर।
- v. सुश्री आशिमा चावला, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, जयपुर (राजस्थान)।
- vi. श्री विमल मिश्रा, महाप्रबंधक, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक के प्रतिनिधि)।

- इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री बुद्धि प्रकाश, निर्दिष्ट अधिकारी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र, जयपुर; (ii) श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र; (iii) श्री पंकज शर्मा, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र और (iv) श्री सुनील गुलियानी, आशुलिपिक ग्रेड II, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति पूरा हो गया है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

- प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. दिनांक 17.05.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

चूंकि दिनांक 17.05.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए दिनांक 17.05.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद नंबर 2: मेसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के मामले में सामग्री की सूची के अनुमोदन का प्रस्ताव

2.1 मेसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, विकासक, बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांव कलवाड़ा, झाई, भंभोरिया, बगरू खुर्द और नेवता, तहसील- सांगानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में निम्नलिखित अनुमोदित अधिकृत संचालन करने के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था:-

सुरेंद्र मलिक

क्र.सं.	अधिकृत संचालन का नाम	अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में सीरियल नंबर निर्देश संख्या 50 एवं 54 के अनुसार।	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1	सड़क पर स्ट्रीट लाइट, सिग्नल और संकेत	1	29.50
2	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण संजाल जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सबस्टेशन, पाइपलाइन संजाल आदि शामिल हैं	04	57.94
	कुल		87.44

2.2 विकासक के प्रतिनिधि श्री विमल मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.3 समुचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की सूची को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया।

मद नंबर 3: विषय: मौजूदा स्वीकृति पत्र संख्या 10/11/2018-विशेष आर्थिक क्षेत्र/3078 दिनांक 21.03.2018 में मेसर्स यासेन लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड के वस्तु और एचएसएन कोड का जोड़/संशोधन - सादर

3.1 मेसर्स यासेन लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड विकासक, बहु उत्पाद एसई, गांव कलवाड़ा, झार्ड, भंभोरिया, बगरू खुर्द और नेवता, तहसील- सांगानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई है। उन्हें एलईडी लाइटिंग, लाइटिंग फिक्सचर और एलईडी स्मार्ट प्रणाली के विनिर्माण के लिए महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र, जयपुर, राजस्थान में एक इकाई स्थापित करने के लिए स्वीकृति पत्र संख्या 10/11/2018-विशेष आर्थिक क्षेत्र/3078 दिनांक 21.03.2018 प्रदान किया गया था। इकाई ने एक बांड-सह-कानूनी उपक्रम निष्पादित की थी, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इकाई ने 29.06.2025 से अपना परिचालन शुरू कर दिया था और तदनुसार, उनके स्वीकृति पत्र को 28.06.2025 तक मान्य किया गया था। ऐसा कोई उत्पाद नहीं था जिसके लिए 21.03.2018 के स्वीकृति पत्र में व्यापार की अनुमति दी गई थी।

3.2 इकाई ने 04.06.2024 को प्राप्त अपने पत्र शून्य तथा 05.06.2024 को प्राप्त पत्र के माध्यम से मौजूदा स्वीकृति पत्र में एचएसएन कोड जोड़ने का अनुरोध किया था। इकाई ने सूचित किया है कि उनके मौजूदा स्वीकृति पत्र में एचएसएन कोड 8539, 8536, 8544, 8525 तथा 9405 शामिल हैं। इसके अलावा, इकाई ने बताया कि उन्होंने अपने प्राधिकरण को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, यानी विनिर्माण और व्यापार। इकाई ने विनिर्माण और व्यापार के लिए उत्पादों के लिए विस्तृत एचएसएन-कोड वार सूची प्रस्तुत की थी।

3.3 बैठक में इकाई के निदेशक श्री सुनील पुरी भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि व्यापार को आसान बनाने के लिए वे बंदरगाह पर परेशानी मुक्त निर्यात के लिए स्वीकृति पत्र में एचएसएन कोड जोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा, उन्होंने निकट भविष्य में व्यापारिक गतिविधियों में प्रवेश करने की योजना बनाई है।

3.4 समिति ने चाया कि एचएसएन द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादों की सूची में उपभोग्य वस्तुएं और कच्चा माल भी शामिल था। इकाई के प्रतिनिधि ने जवाब दिया कि उनके ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार, ये मूल निर्यात खेप में दोषपूर्ण या टूटे हुए बक्कों के प्रतिस्थापन के लिए थे।

सुरेंद्र मलिक

3.5 समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और इकाई के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई। समिति ने इकाई को स्वीकृति पत्र में शामिल किए जाने वाले उत्पादों के लिए एचएसएन कोड की संशोधित सूची प्रस्तुत करने की सलाह दी। समिति ने विकास आयुक्त कार्यालय को फाइल पर मामले की जांच/अनुमोदन करने और अगली बैठक में अनुमोदन समिति को सूचित करने का अधिकार दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक
(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

अ. बिपिन मेनन
(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त